



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
 धर्म एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
 मुख्य कार्यालय/Head Office
 भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
 Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
 Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



फाइल सं. : ए45011/43/2026-एचआरएम-III/157

दिनांक: 15/04/2026

कार्यालय आदेश

विषय: आंचलिक कार्यालय, राजस्थान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की परिवीक्षा की समाप्ति और पुष्टि की मंजूरी के संबंध में।

संघ लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन को मंजूरी देने और वेतन मैट्रिक्स (संशोधन-पूर्व 9300-34800/- ग्रेड पे 4800/- रुपये) के लेवल-8 के पद पर प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के रूप में उनकी स्थायी नियुक्ति पर विचार करने हेतु दिनांक 17.12.2025 को आंचलिक कार्यालय, राजस्थान विभागीय पुष्टिकरण समिति (DCC) की हुई बैठक की सिफारिशों के आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.), मानव संसाधन प्रबंधन, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से, प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद पर स्थायी रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं:

क्रम.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	तैनाती स्थल	पुष्टि की दिनांक
1.	हिमांशु बिकोनिया	जयपुर	19.01.2025
2.	जितेंद्र गवरिया	जयपुर	19.01.2025
3.	ओमप्रकाश बिरदा	जयपुर	19.01.2025
4.	प्रदीप कुमार गर्ग	जयपुर	19.01.2025
5.	अर्चित यादव	जयपुर	19.01.2025
6.	रामराज मीणा	जयपुर	19.01.2025
7.	शुभम अग्रवाल	अलवर	19.01.2025
8.	चंद्रवीर गुर्जर	अलवर	19.01.2025
9.	सुशील कुमार बैरवा	जोधपुर	19.01.2025
10.	विकास कुमार खयालिया	जोधपुर	05.11.2025
11.	योगेश खैराजनी	जोधपुर	26.01.2025
12.	अमन सेवड़ा	अलवर	22.08.2025

2. इसके अतिरिक्त, जहाँ कहीं भी पुष्टि की तारीख सेवा में शामिल होने के दो वर्ष पूरे होने के बाद की है, वहाँ दो वर्ष से अधिक की अवधि को परिवीक्षा अवधि का विस्तार माना जाएगा।

3. उपर्युक्त सूची किसी भी तरह से वरिष्ठता क्रम में नहीं है, और इसे प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की वरिष्ठता सूची के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी क.भ.नि.सं. में शामिल होने से पूर्व किसी भी सरकारी विभाग/राज्य सरकार जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू पेंशन नियमों का अनुसरण करते हैं, में की गई अपनी पिछली सेवा/रोजगार की गणना हेतु और ऐसी सेवा/रोजगार को उन मामलों में, जहां नियमानुसार लागू हो, उस सेवा को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत अर्हक सेवा मानने के लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर अपना आवेदन उचित माध्यम से अपर कें.भ.नि.आ. (मुख्या.) एच आर एम को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जिसमें सेवा/रोजगार से संबंधित आवश्यक विवरण, कैडर नियंत्रण प्राधिकारी का पता, प्राप्त होने वाले सेवानिवृत्ति लाभ आदि की जानकारी दी गई हो; साथ ही, उसमें उपर्युक्त नियमों के अनुसार राशि जमा करने संबंधी अंडरटेकिंग दी गई हो।

(यह अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.), मा.सं.प्र. के अनुमोदन से जारी किया जाता है)



(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी
(संबंधित प्रभारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से)

प्रतिलिपि: (संबंधित क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-प्रभारी से अनुरोध है कि वे संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ करें और इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्तिगत फाइल में रखें।
2. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
3. सभी अ. कें.भ.नि. आयुक्त (अंचल)।
4. मुख्यालय के सभी अ. कें.भ.नि. आयुक्त।
5. निदेशक (पीडीनास) - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ मुख्य अभियंता/ सभी अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.) के प्रधान निजी सचिव।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्रशा.से.प्र.), मुख्यालय।
9. क्षे.भ.नि. आयुक्त, एनडीसी, नई दिल्ली
10. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
11. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।
12. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गाई फाइल।



(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम)